

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)(321)पोषा./D.I./ICDS/2014/ 134-167

जयपुर, दिनांक: 2/1/15

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :-विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(1)(310)पोषा./S.H.G./मबावि/2007/70826-892
दिनांक 21.08.2014 एवं 78533-565 दिनांक 16.09.2014

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 196/2001 में दिनांक 07.10.2004 को पारित आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा आगामी तीन माह में ऐसी परियोजनाएं, जिन्हें पूर्व में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था हेतु चयनित किया जा चुका है, किन्तु विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था असफल रहने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है, में पुनः विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु कार्ययोजना संलग्न करते हुए निर्धारित दिनांक अथवा इससे पूर्व चयनित परियोजनाओं में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

उक्त निर्देशों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि आपके जिले में संचालित परियोजनाओं में अभी तक विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ नहीं करवाई गई है तथा केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार आवंटन हेतु मांग पत्र निदेशालय को प्रेषित किये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने के दृष्टिगत विभाग द्वारा माह दिसम्बर, 2014 तक के लिए पोषाहार का आवंटन किया जा चुका है। आगामी माह से उक्त परियोजनाओं हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार का आवंटन नहीं किया जावेगा। पूरक पोषाहार के अभाव में आंगनबाड़ी केन्द्र झाई होने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

विभाग द्वारा निरन्तर निर्देशों के उपरान्त भी विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ नहीं कराना आपकी राज कार्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। अतः विभागीय निर्देशों के उपरान्त भी विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ नहीं कराने के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण के साथ निम्नलिखित प्रारूप में सूचना अविलम्ब प्रेषित करावें:-

जिला

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिनें विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 31.12.14 तक विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ की जानी थी।	परियोजना का नाम जिनें दिनांक 31.12.14 तक विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है।	जिन परियोजनाओं में विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ नहीं की गई है, उनका नाम एवं कारण

(डॉ. पृथ्वी)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक:एफ.4(1)(321)पोषा./D.I./ICDS/2014/
प्रतिलिपि:-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय निर्देशानुसार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। पोषाहार के अभाव में आंगनबाड़ी केन्द्र झाई पाये जाने पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनुशासनात्मक प्रारम्भ कर दी जावेगी।

2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

(आर.एस.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)